

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## :-कार्यालय आदेश:-

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम:- 1970 एवं उक्त नियमों में प्रसारित संशोधित नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यायाता को MA in Education परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है:-

1. नियमानुसार अर्जित अवकाश ही देय होंगे। अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा। अध्ययन पर होने वाला व्यय आशार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
2. डीग्री यू.जी.सी से मान्यता प्राप्त होनी आवश्यक है। इसकी सुनिश्चिता की जिम्मेदारी कार्मिक स्वयं की होगी।
3. विद्यालय कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने अथवा शाला प्रधान एवं नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रतिकूल अभिमत करने पर यह अनुज्ञा निरस्त की जा सकती है।

क्र.सं	नाम व्याख्याता, विषय मय पदस्थापन स्थान	विश्वविद्यालय एवं परीक्षा सत्र
1.	लक्ष्मण राम व्या.इतिहास राउमावि शहीद कैप्टन नवपाल सिंह सिद्धू पदमपुर-श्रीगंगानगर	सिंधानिया यूनिवर्सिटी से MA in Education पत्राचार से करने के संबंध में।
2.	भुवनेश्वर सिंह भाटी व्या.इतिहास राउमावि भोलासर-कोलायत, बीकानेर	वि.एम.ओ.यू कोटा से MA in Education पत्राचार से करने के संबंध में।
3.	सुनिता मीणा व्या.इतिहास राउमावि सैक्टर 12 हनुमानगढ जंक्शन	वि.एम.ओ.यू कोटा से BACHELOR OF JOURNALISM पत्राचार से करने के संबंध में।

सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-2/इति0-वाणि0/अनापत्ति/2020-21  
प्रतिलिपि:-निम्नानुसार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

दिनांक:-19.07.22

6. सम्बन्धित उप निदेशक-माध्यमिक शिक्षा
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा
8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा,
9. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/कार्मिक
10. रक्षित/निजी कार्मिक

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर